104

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्र. R-2079-I/14 /नि. 14

पुरालाल पिता तोलाराम, आयु-46 वर्ष,
व्यवसाय-कृषि, निवासी-आक्या नजीक, तह.
नागदा, जिला उज्जैन ......आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन
2. भारतसिंह पिता तोलाराम, निवासी-आक्या नजीक, तह. नागदा, जिला उज्जैन

.......अनावेदकगण

पुर्नरिक्षण अधीनस्थ कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन के प्रकरण क्र. 17/अ-5/2012-13 में आदेश दिनांक 21.04.2014 के विरूद्ध

पुर्नरिक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि, दिनांक 06.07.2006 को आवेदक द्वारा म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 89 व 116 के तहत नायब तहसीलदार महोदय, टप्पा उन्हेल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आक्या नजीक में आवेदक के मालिकी भूमि सर्वे नंबर 46 रकबा 2.0 हेक्टर व सर्वे नंबर 104 रकबा 0.721 हेक्टर पुरालाल व सजनबाई के नाम से बंदोबस्त पूर्व चला आ रहा है, परंतु बंदोबस्त में सर्वे नंबर 46 व 104 का नया नंबर नही बनाया, जिसे दुरूस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार महोदय द्वारा जांच कर प्रकरण क्र. 36/अ-6-अ/2010-11 में प्रतिवेदन दिनांक 05.01.2012 के द्वारा उक्त प्रकरण में राईट ऑफ रिकॉर्ड में संशोधन का अधि कार कलेक्टर महोदय, उज्जैन को है। उक्त प्रतिवेदन एस.डी.ओ. के माध्यम से कलेक्टर को भेजा गया, जिस पर कलेक्टर महोदय ने अपने प्रकरण क्र. 13/अ-13/2011-12 में

......2

XXIX(a)-BR(H)-11

(104)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2079-दो/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	